38

निगरानी 2553-II-15

समक्ष माननीय सदस्य महोदय, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केम्प भोपाल

पुनरीक्षण याचिका कमांक : ...../2015

1– मोहम्द जुबेर आ0 स्वर्गीय मो0 इलियास, आयु 36 वर्ष,
2– मोहम्मद अब्दुल्ला आ0 स्वर्गीय मो0इलियास, आयु 34 वर्ष,
3– मोहम्मद तारीक आ0 स्वर्गीय मो0इलियास, आयु 32 वर्ष,
4– मोहम्मद बिलाल आ0स्वर्गीय मो0इलियास, आयु 28 वर्ष,
धंधा कृषि, निवासी मोहल्ला काजीपुरा, कस्बा आष्टा
तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0... पुनरीक्षणकर्तागण

श्री गुलाब सिंह चौहान अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 30.7.15 को भोपाल केम्प पर प्रस्तुत
30.7.15

//विरूद्ध//

शेख इस्माईल आ0 शेख चांद, आयु 47 वर्ष,
जाति मुसलमान (शेख), धंधा कृषि,
निवासी मोहल्ला काजीपुरा, कस्बा आष्टा,
तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0 .... प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता,1959

श्रीमानजी,

पुनरीक्षणकर्तागण, न्यायालय श्रीमान दयाकिशन शर्मा तहसीलदार महोदय आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0, जिन्हें इस याचिका में आगे सिर्फ "माननीय अधीनस्थ न्यायालय" कहा गया है, द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ–70/08–09 शेख इस्माईल विरूद्ध मोहम्मद जुबेर आदि में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015, जिसे इस याचिका में आगे सिर्फ "आलोच्य आदेश" कहा गया है के विरूद्ध निम्नानुसार वर्णित तथ्यों एवं विधि आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं :–

//पुनरीक्षण याचिका ज्ञापन//

1– यह कि, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय आष्टा, जिला सीहोर के हदबंदी प्रकरण कमांक 8/अ–70/08–09 में विधि–विधान एवं प्रकिया के विरूद्ध पारित किये गये आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.2015 से पुनरीक्षणकर्तागण व्यथित हैं, इसलिये आलोच्य आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में सही तथ्यों और सारभूत विधि प्रश्नों के आधार पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है चंकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2553–दो/2015 जिला सीहोर

मोहम्मद जुबेर आदि विरूद्ध शेख इस्माईल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-7-2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान न्यायालय की मर्यादा से बाहर जाकर जोर–जोर से तर्क कर प्रकरण के निराकरण पर अपने अनुसार निराकरण करने का दबाव बनाया। आवेदक अभिभाषक के इस गैर मर्यादित आचरण की मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, परन्तु फिर भी प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रश्नागत आदेश का सूक्ष्म परिसीलन का उचित निर्णय पारित किया जा रहा है। 3/ निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 30–6–2015 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष प्रकरण कमांक 8/अ–70/08–09 न मिलने पर नवीन आवेदन के आधार पर प्रकरण कमांक 2/अ–70/09–10 दर्ज किया गया। आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष नवीन प्रकरण कमांक 2/अ–70/09–10 में आपत्ति प्रस्तुत कर समाप्त करने की मांग की। तहसीलदार द्वारा पुराने प्रकरण कमांक 8/अ–70/08–09 प्राप्त हो जाने दोनों प्रकरणों को संलग्न करने के आदेश दिये। आवेदक की आपत्ति तहसीलदार द्वारा इस आधार पर निरस्त की है कि पूर्व में भी आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई थी अब पुनः नवीन प्रकरण पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा	

प्रकरण के निराकरण में विलम्ब करने के उद्देश्य से आपत्ति की है। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–6–15 से आवेदक की आपत्ति निरस्त की तथा प्रकरण आवेदक के जबाव हेतु नियत किया है। चूंकि पुराना प्रकरण गुम हो जाने से नवीन प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई थी तथा पुराना प्रकरण प्राप्त हो जाने से यदि नवीन प्रकरण को समाप्त कर दिया जाता है तो नवीन प्रकरण में हुई कार्यवाही पुराने प्रकरण में उपलब्ध नहीं हो सकेगी, इसी कारण तहसीलदार द्वारा नवीन प्रकरण समाप्त न कर दोनों प्रकरणों को संलग्न किया है तथा प्रकरण में आवेदक की आपत्ति को निरस्त कर प्रकरण जबाव हेतु नियत किया है। दोनों प्रकरण संलग्न होने से प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन नये प्रकरण में की गई कार्यवाही को समाविष्ट कर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद होगी। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार आष्टा को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि वे अधिकतम एक माह में आवश्यक प्रकिया अपनाकर विधिअनुसार प्रकरण का निराकरण करें।

आदेश प्राप्ति से

प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य